



Neutral Citation No. - 2026:AHC:174740

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7871

सन् 2026

सुरेंद्र कुमार

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता :

अजय कुमार पांडे, मुकेश सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आज दाखिल किया गया प्रति-शपथपत्र अभिलेख पर लिया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार पांडे और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. यह प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 59 सन् 2026 के तहत धारा 108 बी.एन.एस., थाना - एयरपोर्ट, जिला प्रयागराज में दाखिल किया गया है, जिसमें उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह से बेगुनाह है और उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। आवेदक के खिलाफ़ ऐसा कोई आरोप या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि उसने मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया या दुष्प्रेरित किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से दर्ज कराई गई थी।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक की गिरफ्तारी से उसके परिवार को अपूरणीय कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मृतक मानसिक तनाव में था और उसने बिना किसी उकसावे या भड़कावे के अवसाद में आकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकरण में कानून के तहत ज़रूरी दुष्प्रेरण वाले तत्व पूरी तरह से मौजूद नहीं हैं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि आवेदक जांच और विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जांच एजेंसी या संबंधित न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर पेश होगा। यह भी कहा गया है कि अगर आवेदक को अग्रिम ज़मानत मिलती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जाँच में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

6. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, ने अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है, हालांकि, उन्होंने तथ्यात्मक पहलू से इनकार नहीं किया है।

7. मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं और अभिलेख का अवलोकन किया है।

8. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और एक अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने जिसमें गवाहों को डराना-धमकाना भी शामिल है, की उसकी संभावना, न्याय से बचने की संभावना, जैसे कि देश छोड़कर चले जाना आदि पर विचार करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि अग्रिम ज़मानत देनी है या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति और



गंभीरता, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अग्रिम जमानत देनी है या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

9. सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय केसेस 676

प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हिरासत में पूछताछ ज़रूरी हो, या अपराध जघन्य प्रकृति का हो, या गवाहों को प्रभावित करने या अभियुक्त के भागने की संभावना हो। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि वह विधिसम्मत है, गिरफ्तारी करने की शक्ति और उस शक्ति का इस्तेमाल करने के औचित्य के बीच फ़र्क करना ज़रूरी है। अगर गिरफ्तारी को एक आम बात बना दिया जाए, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर विवेचना अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त भाग जाएगा या समन का पालन नहीं करेगा, और अभियुक्त ने असल में विवेचना में पूरा सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए अभियुक्त को गिरफ्तार करना ज़रूरी नहीं है।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला द्वारा यह पुनः अभिनिर्धारित किया गया है कि आईपीसी की धारा 306 / बीएनएस की धारा 108 के तहत अपराध साबित करने के लिए, अभियुक्त की ओर से आईपीसी की धारा 107 / बीएनएस की धारा 45 में बताए अनुसार विशिष्ट दुष्प्रेरण होना ज़रूरी है, और उस दुष्प्रेरण का मकसद संबंधित व्यक्ति को आत्महत्या के लिए मजबूर करना होना चाहिए। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मृतक को आत्महत्या करने में सहायता करने या उसे उकसाने अथवा दुष्प्रेरित करने का अभियुक्त का आशय, धारा 306 भा.दं.सं. / धारा 108 बी.एन.एस. को आकर्षित करने के लिए अनिवार्य है [देखिए **मदन मोहन सिंह बनाम गुजरात राज्य और एक अन्य (2010) 8 एससीसी 628**]। इसके अलावा, कथित उत्पीड़न ऐसा होना चाहिए कि पीड़ित के पास अपनी जान देने के अलावा कोई अन्य विकल्प न बचा हो और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के प्रकरणों में आत्महत्या के लिए उकसाने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्यों का प्रमाण होना आवश्यक है [देखिए **अमलेंदु पाल उर्फ़ इंद्रू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2010) 1 एससीसी 707 और एम. मोहन**



बनाम राज्य (2011) 3 एससीसी 626 और रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2001) 9 एससीसी 618]।

11. हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **महेन्द्र अवसे बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2025 आईएनसी 76** प्रकरण में इन सिद्धांतों को फिर से दोहराया है।

12. आवेदक का प्रकरण पूरी तरह से ऊपर बताए गए फैसलों के दायरे में आता है।

13. अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण से जुड़ी सभी परिस्थितियों और तथ्यों पर विचार करते हुए और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना यह माना जाता है कि अग्रिम जमानत का प्रकरण बनता है।

14. तदनुसार, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को इन निर्देशों के साथ **स्वीकार** किया जाता है:-

(i) अगर इस प्रकरण में शामिल- **सुरेंद्र कुमार** को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे विचारण पूरा होने तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें संबंधित थाने के थाना प्रभारी या संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो जमानतदार देना होगा।

(ii) आवेदक विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी का सहयोग करेगा और विवेचना किए जाने के उद्देश्य से जब भी आवश्यक हो, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगा।

(iii) आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके, और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

15. किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को निरस्त किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

19 अगस्त, 2026

ए.पी. पांडे

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।